सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः– एफ.17(ई)ग्राविवि/प्रशा.2/विका.यो./पंचा.दिवस/2014/2753 जयपुर,दिनांकः 13.05.2014

<u>आदेश–2014/2</u>

1. ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा संचालित समस्त् योजनाओं के नियमित पर्यवेक्षण, क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों/कर्मचारियों के मार्गदर्शन व योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा जून 2014 से एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसे **"पंचायत दिवस"** के नाम से संचालित किया जायेगा। यह अभियान न होकर एक सतत् कार्यक्रम होगा जो वर्षभर संचालित होगा। अनुमानतः लगभग 4 माह में सभी पंचायत समितियों की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर यह कार्यक्रम आयोजित कर लिया जायेगा व एक वर्ष में लगभग दो से तीन बार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर इसका आयोजन हो जायेगा।

2. <u>योजना का स्वरूप :–</u> प्रत्येक पंचायत समिति की **दो समीपस्थ ग्राम पंचायतों** पर पंचायत समिति के सभी अधिकारी दो पृथक दल बनाकर जायेगे तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पूरा दिन उपस्थित रहकर विकास योजनाओं की आवश्यक स्वीकृतियों की समीक्षा, रेकार्ड अद्यतनीकरण तथा योजनाओं में पिछले पांच वर्षों में हुए कार्यों के भौतिक सत्यापन आदि के कार्य सम्पन्न करेंगे। आवश्यकतानुसार आस–पास की पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों को भी कार्यक्रम में उत्तरदायित्व दिये जायेगे एवं वे उस दिन उस ग्राम पंचायत के कार्यो में सहयोग करेगे। यह कार्यक्रम **प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को आयोजित किये जायेंगे।** उस दिन सामाजिक/धार्मिक उत्सव का **अवकाश होने की स्थिति में आगामी दिवस अर्थात शनिवार को कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।** अगर शुक्रवार को पंचायत/पचायत समिति की कोई आवश्यक बैठक पूर्वनियोजित हो तो उसे पिछले/आगामी कार्यदिवस पर आयोजित कर लिया जाये। पंचायत दिवस निश्चित दिवस को ही करंवाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः 10 बजे प्रारम्भ होकर कार्य समाप्ति तक चलेगा।

3. <u>मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विकास अधिकारी के दायित्व :–</u> जिले की समस्त पंचायत समितियों में कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रभारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सहायक प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहेंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक शुक्रवार के जिला परिषद के वरिष्ठ अधिकारी उनके जिले में किसी न किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंचायत दिवस कार्यक्रम में उपस्थित रहें।